तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) — हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्र०क० 125/मु राजस्व पत्रावली V/s स्वयं सरकार	
	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 28/03/2022 को पेश हो। उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	
28/3/22	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई प्रकरण में समयाभाव के कारण निर्णय लिखा नहीं जा सका पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 4/04/2022 को पेश हो। उपखड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	
4/4/22	समय पर उपस्थित पीठासीन अधिकारी ... कार्य से बाहर है। अवकाश पर है/ ... है अतः पत्रावली दिनांक 5/4/22 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी करेड़ा	
5/4/22	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत कर अरदज ग्रस्ताय पूरवार हल्का गोरधनपुरा पटवार मंडल भू० अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र/चैनपुरा तहसील करेड़ा जिला-भीलवाड़ा की आ०नं० 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, ... 523, 524, 525, 526, ... 532, 723, 671, 722, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 736, 737, 738, 739, 740, 741	

उपखड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:36:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) कार्यवाही मय इनीशियल्स जज [illegible]	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
865 व 871 कुल किता 35 रकबा 7.5496 हैक्टर भूमी के संबंध मे मनोहर सिंह तंवर का गोदपुत्र की हैसियत से अपना हक हिस्सा बताते हुऐ उक्त आराजियात को विपक्षी सं० 01 अपने अकेले के नाम पर दर्ज करा लेने व प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा होने से अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु पेश किया गया। उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी सं० 01 द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थी को गोद नही लेने व उसका कोई हक अधिकार नही होने तथाकथित गोदनामा फर्जी एव कूटरचित होना बताया गया व प्रार्थी का मौके पर कोई कब्जा नही होना बताया गया प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया गया व साथ ही न्यायिक दृष्टान्त भी पेश किये गये जो रिकोर्ड पर लिये गये व प्रार्थी द्वारा जवाब उल जवाब पेश किया गया जिसे शा० पत्रावली किया गया प्रार्थी एव विपक्षी सं० 01 द्वारा शपथपत्र व दस्तावेज पेश किये गये जिसको शा० पत्रावली किये गये अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण मे निम्न बिन्दुओ का विवेचन किया जाना आवश्यक है!- 1. प्रथम दृष्टया मामला, 2. सुविधा संतुलन, (3) अपूरणीय क्षति, कि प्रार्थी द्वारा प्रा०पत्र जो कि मनोहर सिंह के गोदपुत्र होना बताकर उक्त विवादग्रस्त भूमि मे हक हिस्से की मांग [illegible] दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी [illegible] कोई दस्तावेज पेश नही किया [illegible] मनोहर सिंह का गोदपुत्र हो व साथ ही विपक्षी सं० 01 जो कि रिकॉर्डेड खातेदार मनोहर सिंह की पत्नी है। जिसके द्वारा प्रार्थी को गोद लेने से भी इन्कार किया गया है। कानूनन माता-पिता की	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:36:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज — प्र०क० 175/19 प्राथी छततहोहेड V/S स्थगनपत्रस देवी	नम्बर अहकाम हुक्म में

रोक हेतु सहमति आवश्यक है। इस कारण से प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। कि उपरोक्त विवादित भूमि जो कि वर्तमान राजस्व रिकोर्ड से मनोहर सिंह के नाम दर्ज होकर विरासत से विपक्षी संख्या 01 के नाम दर्ज हो चुकी है। व विपक्षी संख्या 01 रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार होकर उपयोग उपभोग कर रही है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर विपक्षी सं. 01 मनोहर सिंह के विधिक वारीस होने से विरासत का नामान्तरण सं. 200 दिनांक 24/08/2021 प्राधिकृत स्तर से खोला गया है। प्रार्थी द्वारा जो शपथपत्र पेश किये जो प्रकरण मे कोई बल नहीं देते है इस कारण सुविधा संतुलन का कोई बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे नहीं होकर विपक्षी सं. 01 के पक्ष मे सिद्ध होता है।

कि दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया व सुविधा संतुलन का बिन्दु विपक्षी सं. 1 के पक्ष मे तय होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के विरुद्ध व विपक्षी सं. 01 के पक्ष मे तय किया जाता है। प्रार्थी का प्रा० पत्र खारीज होने योग्य है। अत एव

!आदेश!

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा- 212 आर.टी.एक्ट का स्थगन प्रा०पत्र सारहीन होने से खारीज किया जाता है। सरहद ग्राम [illegible] प०स० गोरधनपुरा भू०अ०नि० [illegible] (करेड़ा) जिला- भील. के आ०न० [illegible] 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 723, 671, 722, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 865, व 871

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:36:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) — हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज — प्र० सं० [illegible] फतेहसिंह V/s [illegible]	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कुल किता 35 रकबा 7.5496 हेक्टर के संबन्ध मे दिनांक 11/08/2021 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा भी स्वतः निरस्त मानी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दफ्तर दाखील हो। उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:36:44 IST
Reason: SelfAttested